राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: **3** सोलहवीं विधान सभा के तृतीय सत्र का बाइसवां दिवस संख्या: **8**

शुक्रवार,

21 फरवरी 2024

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: नमस्कार, राम-राम। प्रश्न काल। श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी। जो बोलो सब बोलेंगे, राम सब में है। श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

कालीबाई भील व देवनारायण स्कूटी योजना में स्कूटी वितरण

116. श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कालीबाई भील एवं देवनारायण मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक चयनित छात्राओं की सूची किन-किन तिथियों को जारी की गई? प्रत्येक वर्ष में चयनित स्कूटियां किस माह में वितरण केन्द्रों पर पहुंचाई गईं तथा उनका वितरण किस माह में प्रारम्भ किया गया? प्रत्येक वर्ष के लिए चयनित कितनी स्कूटियों का वितरण अब तक शेष है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) उक्त योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं वितरण में हुए विलम्ब व बाधा के कारणों का विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उच्च शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेम चन्द बैरवा): (1) कालीबाई भील मेधावी छात्रा एवं देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 से वर्ष 2024-25 तक चयनित छात्राओं की सूची, वर्षवार वितरण प्रक्रिया प्रांरभ करने का माह, वर्षवार वितरण से शेष रही स्कूटियों का विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक माहवार चयनित स्कूटियों को वितरण केन्द्रों तक पहुचाने की सूचना परिशिष्ट ब पर संलग्न है।

(2) उक्त योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं वितरण में देरी या बाधाएँ निम्नानुसार रही-

वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के चयनित अभ्यर्थियो को स्कूटी वितरण हेतु प्रथम बार

कार्यवाही वृत्तान्त में प्रयुक्त संकेताक्षर

+++: शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

000: अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

ई-रूपी वाउचर को लागू किया जाने, कोविड-19 महामारी के कारण स्कूटी वितरण प्रक्रिया बाधित होने, राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 दिनांक 09-10-2023 से 03-12-2023 तक एवं लोकसभा आम चुनाव 2024 दिनांक 16-03-2024 से 04-06-2024 तक आचार संहिता लागू होने के कारण उक्त योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं वितरण में देरी हुई।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि कालीबाई भील मेधावी छात्रा एवं देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना के अंतर्गत 2022-23 में कोविड-19 महामारी का कोई प्रभाव नहीं था। राजसमन्द में कितनी छात्राएँ सलेक्ट हुईं और कितनी छात्राएँ अभी बाकी हैं, जिनको स्कूटी वितरित नहीं हुई है और इस देरी का मुख्य कारण क्या है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री):माननीय अध्यक्ष महोदय, राजसमन्द ज़िले में चयनित बालिकाओं की संख्या 92 थी, उनमें से 68 बालिकाओं को वितरित की गईं, वर्तमान सरकार द्वारा आज दिनांक तक वितरण स्कूटियां 23 हैं, वितरण एक शेष रही है इनके। वर्ष 2022-23 में 167 बालिकाओं को, पिछली सरकार में जीरो, 129 हमने बांट दीं और 38 बाकी हैं। 2023-24 में 275, पिछली सरकार में जीरो, 125 बांट दी और 150 बाकी हैं जिसके प्रयास चल रहे हैं।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगी कि विगत सरकार में स्कूटी बांटने में देरी हुई, आज भी बच्चियां वहां स्कूटी का इंतजार कर रही हैं, स्कूटी वितरण नहीं हुई है। उसमें जो फ़र्म निर्धारित की थी उसके कार्यादेश में उन्होंने शर्तों का उल्लंघन किया है। क्या सरकार उस फर्म के विरूद्ध भी कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? जो स्कुटियां पड़ी हुई है, वे कब तक उन बच्चियों को मिल जाएंगी? वे आज भी आशा रख रही हैं कि उनको स्कूटी मिलेगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष वार इनको स्कुटियों के बारे में बता रहा हूं। 2021-22 में 11 हजार 300 स्कुटियों की संख्या थी, 69 करोड़ 50 लाख 95 हजार रुपये का भुगतान किया गया, उनमें से 4 हजार 971 स्कुटियां बांटनी थी जिनमें से 5 हजार 301 वर्तमान सरकार ने बांटीं, विगत सरकार ने 4 हजार 971 स्कुटियां बांटी थी। कुल 10 हजार 272 स्कुटियां बांटी गई है, हमारे पास 1 हजार 89 स्कुटियां बाकी है। 2022-23 में 16 हजार 901 स्कुटियों की संख्या थी, जिनकी लागत 32 करोड़ 82 लाख, 62 हजार रुपये थी। विगत सरकार में एक स्कूटी नहीं बांटी, वर्तमान सरकार ने 4 हजार 800 स्कुटियां बांटीं, 1215 स्कुटियां बाकी हैं। 2023-24 में हमारी तरफ से कोई भुगतान नहीं किया गया है लेकिन वेंडर से स्कुटियां आईं, 8 हजार 808 स्कुटियां बांट दी गई हैं, 12

हजार 454 स्कुटियां बाकी है जिनकी प्रक्रिया चल रही है, वे बांटी जा रही हैं।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मेरा एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, हो गया। दो हो गए।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मेरा एक सिम्पल प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: हो गया, आप पूछिये। दो में जो पूछना है पूछ लो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सदस्या ने जो क्वेश्चन लगाया वह वाकई में बहुत गंभीर है। माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): बांटी गईं ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप बैठो ना, आपको किसने कहा? माननीय मंत्री जी, सदन आराम से चल रहा है, इनको कहने दो, आपके मंत्री जी सक्षम हैं, उत्तर दे देंगे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): जब हमारे समय सितम्बर में स्कूटी बांटनी थी उसके बाद आचार संहिता लग गई और स्कूटी नहीं बंट पाई। बड़ा खेद का विषय है, स्कूटी खडी है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): स्कूटी भी खड़ी है और बच्चों की लिस्ट भी जारी हो चुकी है कि इन-इनको बंटनी हैं। स्कुटियों की हालत यह है कि उनके अन्दर झाड़ियां उग आई हैं, अखबारों में फोटो आ रही है।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): उन बच्चियों का क्या दोष है जिनको अब तक स्कूटी नहीं मिली, एक नम्बर। जिनकी वजह से देरी हुई है उन पर मंत्री जी कार्यवाही करना चाहते हैं या नहीं चाहते?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): 2021-22 और 2022-23 की स्कुटियों का इस प्रकार विवरण है। 28 हजार 262 स्कुटियां, उनमें से 15 हजार 123 स्कुटियां बांट चुके हैं, लेकिन हमारे पास 1437 शेष हैं पिछली जो आपकी सरकार ने नहीं बांटी थीं उनमें से। ...(व्यवधान)... डीलर ने हमें 2021-22 में जितनी दी थी, उनकी कमी थी कि उस वेंडर ने हमें स्कुटियां नहीं पहुंचाईं, जो पहुंचाईं हमारे पास शेष 1437 हैं, बाकी उसने किसी प्राइवेट जगह रजिस्ट्रेशन कराकर रख रखी थीं और उस पर कार्यवाही चल रही है, उसकी जांच करवाएंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रफीक खान।

लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को रोजगार

117. श्री रफीक खान (आदर्श नगर): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में लखपति दीदी योजनान्तर्गत कितनी महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) प्रदेश में पालनहार योजना में लाभान्वितों की संख्या कितनी हैं? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास (श्री ओटा राम देवासी): (1) लखपति दीदी योजनान्तर्गत वर्ष 2024-2025 की बजट घोषणा के द्वारा 15 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध राजीविका द्वारा माह जनवरी 2025 तक 15 लाख 21 हजार 3 सौ 32 (15,21,332) लखपति दीदी का चिन्हिकरण कर इन्हें विभिन्न आजीविका सम्बन्धित गतिविधियों से जोड़ा गया है।

(2) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार पालनहार योजनान्तर्गत कुल 6 लाख 15 हजार 98 (6,15,098) बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मेरे पास जवाब आ गया है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मैं यह जानना चाह रहा हूं कि लखपति दीदी लखपति कैसे बनती है, जरा इस पर प्रकाश डालें, इनको फंडिंग कहां से होती है?

श्री अध्यक्ष: कैसे होती है यह प्रश्न में नहीं है। संख्या पूछिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): आप 05 लाख एडिशनल बता रहे हैं इनको फंडिंग कहां से मिली और कब-कब मिली, कितनी महिलाओं को लाभान्वित किया गया और कितनी संख्या में भुगतान किया गया, जरा बता दीजिए?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): माननीय अध्यक्ष महोदय, लखपति दीदी योजना में स्वयं सहायता समूह है और महिला को सीधे रोजगार दिये जाने का प्रावधान नहीं है। इस योजना में लखपति दीदीयों को एग्रीकल्चर, गैर एग्रीकल्चर, अनेक गतिविधियों से जोड़कर इनकी आय को 01 लाख से अधिक वृद्धि किये जाने की पहल है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मैं यह पूछना रहा हूं कि यह 05 लाख...

श्री अध्यक्ष: पहले पूरा उत्तर सुन लीजिए। मैं आपका प्रश्न पढ रहा हूं उसमें कहीं नहीं है कि लखपति दीदी क्या होती है, आपने नहीं पूछा है। आपने संख्या पूछी है, संख्या बता रहे हैं। उत्तर मंत्री जी देंगे, सुनो।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): पैसा कहां से आया?

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, 2024-25 में लखपति योजना चली उसमें सबसे पहले मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा। हमारा 15 लाख 21 हजार 332 का लक्ष्य था उसको अभी इस बजट में 20 हजार का लक्ष्य कर दिया है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): 20 लाख बोलो।

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): हां, 20 लाख। जो 15 लाख 21 हजार 332 का लक्ष्य था, अभी 20 लाख का लक्ष्य रखा है उसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। लखपति दीदी को चयनित कर, उसकी आजीविका के बारे में हमने सम्बन्धित गतिविधियों से जोड़ा है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष: अगला पूरक प्रश्न।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): गतिविधियों में फंडिंग कहां से आ रही है, इनको पैसा कैसे मिल रहा है, लखपति कैसे बन रही है? इन अधिकारियों के चक्कर में मत आओ, यह जवाब सारा +++ है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछो।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): पैसा कहां से मिल रहा है यह बताओ, कौनसी संस्थाएं दे रही है, कितना नम्बर मंथ वाइज आपने बढ़ाया यह बताओ? एक महीने में मेरा सवाल लगने के बाद, इन्होने आपको सारे +++ डाटा दे दिए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछो।

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): मैं समझता हूं कि ज़िलेवार पूरा डाटा आपके पास भेजा हुआ है और मेरे पास भी है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): नहीं भेजा। आंसर नहीं भेजा। ज़िलेवाइज कोई डाटा नहीं भेजा। कितना पैसा कहां से आया और आप रिकार्ड चेक करोगे तो एक भी महिला को पैसा नहीं मिला है, ये सब +++ से बनाये गये हैं। सारे फिगर गलत हैं।

VPS-RTM-21.02.2025-11.10-1b

श्री अध्यक्ष: बैठिये। पूरक प्रश्न पूछें।

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की 60 अनुपात 40 का जो रेश्यो है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): आप तो यह बता दो कि कितनी महिलाओं को कब-कब दिया और कितनी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है और कितनी राज्य सरकार दे रही है? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। अब मैं अगला प्रश्न पुकार रहा हूं।

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): पहले तो आप जवाब सुनिये और जवाब सुनने की क्षमता रखिये। मैं जवाब दे रहा हूं और जवाब देने में मैं सक्षम हूं। मैं आप सबके बीच में यह कह रहा हूं कि आज दिन तक जिस तरह से यह 15 लाख और यह जो हमारे पास में पूरा लखपति दीदी का है और 15 लाख 21 हजार 332 दीदी का हमने कर दिया है और इसी तरह से आपके हर जिले का, जिस तरह से पूरे जिले का, पूरे राजस्थान का मैंने दिया है, उसके आधार पर ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: संख्या आ गयी है। अगला।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: आप बाद में बोल लेना। आप बोलिये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी परमिशन से निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: आपका जवाब आ गया न। जो प्रश्न में पूछा है, उसका जवाब आ गया।

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): यह आपने जो पूछा है, उसी का जवाब दे रहा हूं। ...(व्यवधान)...

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): पैसा कहां से मिला है? स्टेट गवर्नमेंट की फंडिंग क्या है, संस्थाओं की फंडिंग क्या है और सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग क्या है?

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। हां, आप पूछिये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि माननीय सदस्य ने यह आरोप लगाया है कि अधिकारियों ने +++ जवाब दिया है, अधिकारियों के जाल में नहीं आये। वे या तो प्रूफ करें या माफी मांगें। यह जवाब अधिकृत जवाब है। या तो ये प्रूफ करें या माफी मांगें। यह राज्य सरकार का अधिकृत जवाब है। आपके कहने से नहीं हो जाता है +++। या तो आप प्रूफ करें या माफी मागो। ...(व्यवधान)...

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): आप मंत्रियों को बचाओ मत। मंत्रियों को बचाओ मत। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: इन शब्दों को कार्यवाही से निकाल दिया जाये। ...(व्यवधान)...

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): पैसा कहां से आया, यह बतायें। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। ...(व्यवधान)...

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर किसी सदस्य का उत्तर गलत होता है, अगर आपको यह लगता है तो नियमों में यह प्रावधान है, आप उसको अलग तरीके से माननीय अध्यक्षजी के पास में रख सकते हैं अगर गलत उत्तर मिला है तो। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: हां, आप नियमों में आइये।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): पिछली बार इसी चेयर से अध्यक्षजी ने हमें एक भी प्रश्न नहीं करने दिया था। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। अगला प्रश्न। इसमें हो गया।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): इसमें सीधा पैसा नहीं दिया जाता है। हम इनको ट्रेनिंग करके, तैयार करके, स्किल्ड करके फिर दिया जाता है पैसा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, कितने मंत्री जवाब देंगे एक ही प्रश्न का? तीन तो खड़े हो चुके हैं। अविनाशजी, प्रेम चन्दजी, जोगारामजी।

...(व्यवधान)...

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): मैं जवाब दे रहा हूं। आप सुनिये। मैं जवाब देने में सक्षम हूं, आप सुनिये। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने दो प्रश्न पूछ लिये हैं। माननीय कैलाश चन्द वर्मा। माननीय मंत्रीजी।

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब देने के लिए सक्षम हूं और जवाब दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): आपको पहले भी बता दिया है। बता दिया मैंने।

श्री अध्यक्ष: आपका जवाब आ गया है। ठीक है।

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): इसमें महिलाओं को सीधे रोजगार दिये जाने का प्रावधान नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। माननीय मंत्रीजी, अगला प्रश्न पूछ लिया है, आप विराजिये। कैलाश चन्द वर्मा। माननीय मंत्रीजी।

तृतीय श्रेणी शिक्षकों का स्थानांतरण

118. श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार शिक्षकों के स्थानांतरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण वर्ष 2018 के पश्चात् नहीं किए गए हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त शिक्षकों के स्थानांतरण करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

शिक्षा मंत्री (श्री मदन दिलावर): (1) वर्तमान में प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य सरकार के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा हुआ है।

स्थानान्तरण के संबंध में सभी सम्बन्धित पक्षों यथा आमजन, शिक्षाविद एवं शैक्षिक संगठनों के विचार/सुझाव आमंत्रित कर तदुपरान्त विचार-विमर्श किया जाकर नीति बनाने की प्रक्रिया/कार्यवाही विचाराधीन है।

(2) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत तृतीय श्रेणी शिक्षकों के वर्ष 2018 के बाद स्थानांतरण नहीं किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत वर्ष 2018 के बाद किये गये स्थानान्तरणों का विवरण परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है। शेष भाग प्रश्नोत्तर खण्ड 01 के अनुसार।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, आपका है। ...(व्यवधान)... नो-नो। आप उत्तर सुनना ही नहीं चाह रहे हो। अगला प्रश्न आ गया। आप बैठिये। बैठिये। अंकित नहीं होगा।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला पूरक क्वेश्चन है, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि पिछले छह साल के अन्दर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के ट्रांसफर नहीं हुए हैं एवं हजारों शिक्षक दस-पन्द्रह साल से गृह जिले के बाहर नौकरी कर रहे हैं अतः मेरा सरकार से यह आग्रह है कि सरकार ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में विशेषकर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण का विचार रखती है क्या? पहला पूरक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी थर्ड ग्रेड टीचर्स के स्थानांतरण के बारे में मंत्रिमंडल में विचार होना प्रस्तावित है और जो भी निर्णय होगा वह हम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला पूरक प्रश्न।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): माननीय अध्यक्षजी, क्या सरकार डार्क जोन में कार्यरत शिक्षकों के ट्रांसफर का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक?

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): अभी इस पर भी निर्णय होना शेष है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री फूल सिंह मीणा। अभी तो यह तीसरा ही प्रश्न है। एक, में, दो में, तीन में ही इतना समय लग गया। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका कोई जवाब ही नहीं आया है। ट्रांसफर नीति का घोषणा पत्र में कहा था, उसके बारे में मंत्रीजी कुछ बताएंगे क्या?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। वे संतुष्ट हैं, सामने वाला संतुष्ट है। सदस्य संतुष्ट है तो मैं क्या करूं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अभी तो किरोड़ीजी वाले मुद्दे की तरह इनका भी निर्णय होना पहले जरूरी है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। अगला प्रश्न। श्री फूल सिंह मीणा।

उदयपुर ग्रामीण में जल जीवन मिशन योजना

119. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में जल जीवन मिशन योजान्तर्गत 40 प्रतिशत गांवों में अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के अंतर्गत माह दिसंबर, 2022 तक कुल कितनी राशि आवंटित की गई तथा आवंटित राशि में केंद्र व राज्य सरकार का कितना-कितना अंशदान है?

(3) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कुल कितने घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित है? अब तक कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया

तथा उक्त हेतु कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री कन्हैयालाल): (1) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में अवस्थित कुल 139 ग्रामों में से 135 ग्रामों को जल जीवन मिशन अंतर्गत लाभान्वित किये जाने हेतु अन्य योजनाओं (ओटीएमपी) की स्वीकृतियां राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की विभिन्न बैठकों द्वारा जारी की जा चुकी है। शेष 04 ग्रामों में से बड़गांव पंचायत समिति के 03 ग्राम क्रमशः भुवाणा, रूपगनगर एवं शोभागपुरा शहरी जल योजना उदयपुर से लाभान्वित होने एवं गिर्वा पंचायत समिति के 01 ग्राम यथा कमलोद की डूंगर भौगोलिक दृष्टि से जल जीवन मिशन अंतर्गत नॉन फिजीबल होने के कारण जल जीवन मिशन अंतर्गत लाभान्वित किये जाने हेतु स्वीकृत नहीं किये गये।

उपरोक्तानुसार स्वीकृत 135 ग्रामों की 106 योजनाओं में से 04 योजनाओं के कार्य पूर्ण, 97 योजनाओं के कार्य प्रगतिरत हैं एवं 05 योजनाओं के कार्यों हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है। योजनावार स्वीकृति एवं प्रगति का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में माह दिसम्बर 2022 तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत राशि रुपये 325.77 करोड़ की 106 योजनाओं की स्वीकृतियां जारी की गई थीं, जिनकी केन्द्रीय मद में राशि 155.07 करोड़ एवं राज्यमद में राशि रुपये 157.63 करोड़ की स्वीकृतियां जारी की गई थीं। योजनावार विवरण परिशिष्ट-'अ' में निहित है।

(3) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में जल जीवन मिशन अंतर्गत कुल 48780 जल संबंध जारी किये जाने हेतु स्वीकृति जारी की गई है। उक्त स्वीकृति के विरूद्ध माह जनवरी 2025 तक 18699 जल संबंध जारी किए गए है एवं स्वीकृत योजनाओं पर माह जनवरी 2025 तक राशि रुपये 121.31 करोड़ का व्यय किया गया है। योजनावार विवरण परिशिष्ट-'अ' में निहित है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयजी का धन्यवाद है कि 2021 में जो टेंडर हुआ था, पूर्व में तीन साल तक उसमें इतनी कोई प्रगति नहीं थी, जिससे हमारी आम जनता को पानी मिल सके। इसमें लक्ष्य रखा था, माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछें।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): 48780 परिवारों को कनेक्शन देने का था मगर इस एक वर्ष में मंत्री महोदय ने प्रयास किया तो 18699 परिवारों को ही कनेक्शन मिला है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): बाकी अभी तक जो बाकी है, उनको कब तक जोड़ दिया जायेगा क्योंकि मई, 2025 तक का ही यह लक्ष्य था। साथ में 2018 में मेरी यह टंकी बनी थी और जो एक कम्पनी है, जो उसको टेंडर हुआ था, उसके अन्दर पानी भी अभी पांच दिन पहले ही पानी भरा है। उस ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे? उनको ब्लैकलिस्ट

नहीं किया है और आज भी उसको टेंडर दिये जा रहे हैं और वह एक भी काम पूरा नहीं कर रहा है। साथ में, माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आपके दो प्रश्न हो गये।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, अमृत योजना में जो मेरा शहरी क्षेत्र है उसमें रानबाड़ी, भुवाणा पंचायत के पूरे गांव, जिसमें 3 करोड़ 75 लाख रुपये डी.एम.एफ.टी. फंड से दिये थे, वह सरकार को भेजा हुआ है, वह कब तक हो जायेगा और इनको पानी कब तक पिला देंगे?

श्री अध्यक्षः पहले इनका तो उत्तर आने दो।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): यह पहला क्वेश्चन है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अभी तो पहला ही है।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्रीजी। तीन प्रश्न आ गये।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधान मंत्री मोदीजी को, जिन्होंने जल जीवन मिशन मार्च, 2024 को, इसका पूरे भारत के अन्दर काम पूरा करना था, बीच के अन्दर हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लालजी ने यह निवेदन किया कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता है, हम केवल 40 परसेंट ही काम कर पाये हैं, इसको आगे बढ़ाया जाये, तो उन्होंने इसको मार्च, 2028 तक बढ़ाया है, अब हमें बजट की कोई कमी नहीं रहेगी।

SSY/RTM/21.02.2025/11.20/1c

मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 6 महीने के अन्दर आपके जो भी ओटीएमपी के काम बाकी हैं, 100 परसेंट आपको पूरा जोड़कर देंगे। उदयपुर ग्रामीण में पानी की कमी नहीं रहने देंगे। दूसरी इनकी जो सबसे बड़ी तकलीफ है कि वहां पर इन्होंने ऐसे-ऐसे काम 5 साल तक किये, वहां पर एक कांट्रेक्टर था, ग्रामीण कलरवास एकलिंगपुरा में वर्ष 2018-19 में विभागीय जल योजना में, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है।

श्री अध्यक्षः बीच में नहीं। बैठे-बैठे नहीं। नो।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था, उसका जवाब देना है माननीय सदस्य को।

श्री अध्यक्षः आप इधर उत्तर दो।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): आपको 6 साल तक जिस कांट्रेक्टर के खिलाफ कार्यवाही करनी थी।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): तो समय पर काम पूरा होता।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, उत्तर इधर दो, उधर नहीं।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): हमारी सरकार आने के बाद में 2 एंड 3 में कार्यवाही भी कर ली है। उसके री-टेंडर भी कर दिये हैं। हमने अमृत 2 के टेंडर लगा दिये हैं। जो भी बचा है, उस ठेकेदार को बहुत जल्दी हम ब्लैक लिस्टेड भी करेंगे ताकि वह दुबारा टेंडर नहीं डाल पाये। यह मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री अर्जुन लाल।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): दूसरा सप्लीमेंट्री प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, एक बाकी है।

श्री अध्यक्ष: अब अगला पुकार लिया है।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, मेरे वहां जो मूल निवासी वहां पर रह रहे हैं, उनको पूर्व सरकार में कनेक्शन नहीं दिया और जिनके आधार कार्ड भी नहीं हैं, उनको भी कनेक्शन दे दिया। जबकि मूल निवासी अभी बाकी हैं। उनके लिए क्या सुविधा है? दूसरा, जो हमारे हैंड पंप लगा रखे हैं।

श्री अध्यक्ष: कितने प्रश्न पूछोगे?

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, हैंड पंप की पूरे राजस्थान की समस्या है।

श्री अध्यक्ष: एक बार में एक। बैठिये।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान की समस्या है।

श्री अध्यक्ष: आपने कह दिया।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): हैंड पंप आप लगायें, चाहे पंचायत लगाये, उनको ठीक कराने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। 5-5 हो गये।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान की समस्या है।

श्री अध्यक्ष: बैठिये। आप इसी तक सीमित रहो। बैठिये। माननीय मंत्री जी।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की वास्तव में, केन्द्र सरकार में देश के यशस्वी प्रधान मंत्री मोदी जी ने गाइड लाइन जारी की थी कि कोई भी एक आबादी जिसमें 20 घर हैं, उसको जोड़ने के लिए जो कोई भी आबादी आपकी ऐसी बचती है जो 20 घरों से ज्यादा की है, उसके अन्दर आप बता देना। राजस्थान में एक भी घर हम नहीं बचने देंगे जो 20 घर की आबादी में हो।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री अर्जुन लाल जीनगर।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): साथ ही मंत्रिमंडल में, क्योंकि पंचायत राज और पीएचईडी दोनों में हैंड पंप हैं, पूरे राजस्थान में वास्तव में तकलीफ है, इसकी हम बैठकर समीक्षा करेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि दोनों को या तो पंचायत राज देखे या पीएचईडी देखे। जिससे बार-बार हमारे जन प्रतिनिधियों को नहीं जाना पड़े। इसके लिए भी हम मंत्रिमंडल में समीक्षा करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री अर्जुन लाल जीनगर।

भोपाल सागर बांध (कपासन) के डाक बंगले हेतु बजट आवंटन

120. श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या भोपाल सागर बांध के पास डाक बंगला निर्मित है? यदि हां, तो उक्त में क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त डाक बंगले के विस्तार व रख-रखाव हेतु बजट आवंटन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

जल संसाधन मंत्री (श्री सुरेश सिंह रावत): (1) भूपाल सागर बांध के पास डाक बंगला न होकर निरीक्षण गृह निर्मित है, जिसमें 2 कमरे मय लेट-बाथ तथा दोनों कमरों के बीच खुला बरामदा निर्मित है।

(2) उक्त निरीक्षण गृह की उपयोगिता एवं आवश्यकता के मध्य नजर वर्तमान में विस्तार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। निरीक्षण गृह का रख-रखाव संसाधन उपलब्धतानुसार करवाया जाना प्रस्तावित है।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, सबसे पहले तो माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि भोपाल सागर बांध एवं कपासन बांध खाली पड़े रहते थे, उनको भरने के लिए आपने पिछले बजट में 25 करोड़ रुपये दिये, इसके लिए तो धन्यवाद। मेरा तो इतना आग्रह है कि यह भोपाल सागर बांध, भूपाल सिंह जी दरबार ने बनाया था। उस समय निरीक्षण गृह बना था। कितने वर्ष हो गये? मेरा इतना आग्रह है कि यह निरीक्षण गृह पुराना हो गया है। कमरों के फर्नीचर खराब हो गये हैं। मेरा इतना आग्रह है कि सरकार के पास कोई बजट की कमी नहीं है तो इसकी मरम्मत और फर्नीचर बदलने की क्या मंशा रखते हैं? नम्बर एक।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को कहना चाहता हूं कि अगर आप तत्काल काम कराना चाहते हैं तो अपनी विधायक निधि से आप हमें स्वीकृति दे दें, तत्काल ही करा देंगे। इसके अलावा भी आपका कोई अलग से हमारे पास पत्र आयेगा तो हम इसका निरीक्षण करके इस पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): मेरा इतना आग्रह है, दूसरा प्रश्न है कि सरकार के पास बजट की कोई कमी नहीं है। संसाधनों की कमी नहीं है। अगर कमी नहीं है तो निरीक्षण गृह का थोड़ा विस्तार करने के लिए, विधायक फंड से भी दूंगा, 20 लाख मैं दूंगा, 20 लाख सरकार दे देगी तो अच्छा हो जायेगा। क्या आप इसे करने के लिए विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि आप जो भी कराना चाहते हैं वह एक बार आप हमें लिखित में दें। उसका परीक्षण कराकर हम विचार करेंगे।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): धन्यवाद।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष जी, क्वेश्चन में पूछा है भोपाल सागर और जवाब में दिया है भूपाल सागर, तो कौनसा सही है?

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय विपक्ष के नेता, ये दोनों एक ही हैं। दोनों एक ही हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य कह रहे हैं कि एक ही हैं। अगला प्रश्न।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): दोनों एक ही हैं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती दीप्ति माहेश्वरी।

जिला मुख्यालयों पर कामकाजी महिलाओं हेतु हॉस्टल सुविधा

121. श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) (माननीय सदस्य श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) के स्थान पर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बजट वर्ष 2024-25 में जिला मुख्यालयों पर कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल एवं पेइंग गेस्ट सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु 35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था? यदि हां, तो वर्ष 2024-25 में कितनी धनराशि व्यय की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2024-25 में सम्भाग स्तर पर बालिका सैनिक स्कूल स्थापित किए जाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो वर्ष 2024-25 में उक्त घोषणा के तहत सम्भाग मुख्यालयों पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री अविनाश गहलोत): (1) जी हां। कामकाजी महिला हॉस्टल के निर्माण हेतु 30 जिला मुख्यालयों पर भूमि का आवंटन हो चुका है तथा 11 जिला मुख्यालयों पर भूमि आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उक्त कामकाजी महिला निवास योजना के भवन निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा मांगे जाने पर Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment 2024-25 के अन्तर्गत जारी गाइड-लाइन Part-X (Constrcution of Working Women Hostels) के तहत राजस्थान राज्य के लिए 165.32 करोड़ रुपये की डीपीआर मय रिपोर्ट बजट मांग हेतु प्रस्ताव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार को दिनांक 24.01.2025 को भिजवाये गये हैं।

(2) जी हां। उक्त घोषणा के तहत संभाग मुख्यालय पर अब तक की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि अजमेर एवं राजसमन्द में जो कामकाजी महिला ..।

श्री अध्यक्ष: अजमेर का है यह। प्रश्न अजमेर का ही है।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अब मेरे को अलॉट हुआ है तो।

श्री अध्यक्ष: जिला मुख्यालय, हां, पूछें।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): जिला मुख्यालय लिखा है।

श्री अध्यक्ष: हां, पूछें।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगी कि अजमेर और राजसमन्द में कामकाजी महिला हॉस्टल के लिए किस स्थान पर भूमि आवंटित हुई है और अगर नहीं हुई है तो यह प्रक्रिया किस स्तर पर लंबित है? इसे पूरा करने की संभावित समय सीमा क्या है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा, पहले पूरे सदन को यह आश्वस्त कराना चाहूंगा कि जो माननीय मुख्य मंत्री जी की वर्ष 2024-25 की घोषणा है, जिला स्तर पर चरण बद्ध रूप से कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल एवं पेइंग गेस्ट सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी। इसकी बिन्दु संख्या 91 पर हमने बजट घोषणा की। उसके परिणाम स्वरूप हमने 30 जिला मुख्यालयों पर भूमि का आवंटन कर दिया। सभी संभाग मुख्यालय अजमेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर पर भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन की कार्यवाही हो चुकी है। इसके अतिरिक्त 23 जिला मुख्यालय सीकर, पाली, चूरू, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बारां, करौली, गंगानगर, सवाई माधोपुर, अलवर, भीलवाड़ा, जालौर, डूंगरपुर, नागौर, जैसलमेर, झुंझुनूं, टोंक, हनुमानगढ़, दौसा, सिरोही, ब्यावर, डीडवाना कुचामन पर हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष: इनको राजसमन्द का बताइये।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): 11 जिला मुख्यालय ऐसे हैं, जिनमें बांसवाड़ा, बाड़मेर, राजसमन्द भी हैं, पर भूमि आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। पहला अजमेर का हो चुका है। राजसमन्द की एक जिला स्तरीय कमेटी होती है, उसके माध्यम से यह प्रक्रियाधीन है। जल्दी ही हम कोशिश कर रहे हैं कि जिला स्तर पर कमेटी से आवंटन हो जाये और इसी वित्तीय वर्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा, मैं, इस सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इसी प्रकार की घोषणा की थी। बजट घोषणा 2023-24 के बिन्दु संख्या 80 जिसमें कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से उनके रहने की सुविधा हेतु संभाग मुख्यालयों पर 100 एवं जिला मुख्यालयों पर 50 महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी वर्किंग वूमेन हॉस्टल की घोषणा की गई थी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इस घोषणा के निमित्त एक भी रुपये का प्रावधान नहीं किया। एक भी हॉस्टल नहीं खोला।

हमारी सरकार के पहले ही बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी के विशेष प्रयासों से 165 करोड़ रुपये के प्रस्ताव बनाकर भिजवा दिये गये हैं और यह जल्दी ही राजस्थान में इन महिलाओं के लिए जो वर्किंग वूमेन हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे।

श्री अध्यक्ष: एक सैकण्ड, पहले उनका दूसरा पूरक आ जाये।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि अजमेर संभाग में चयनित विद्यालय, जो बालिका सैनिक स्कूल है, उसमें परिवर्तित करने में क्या तकनीकी बाधाएं आ रही हैं? यह तकनीकी बाधाएं अगर दूर नहीं की जा सकतीं तो क्या सरकार किसी अन्य स्थान पर इस योजना को शीघ्र क्रियान्वित करने की मंशा रखती है?

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो यह जो सैनिक स्कूल का विषय है, यह शिक्षा विभाग के माध्यम से है। विशेष रूप से आपने जिस, अजमेर का बताऊं? अजमेर संभाग की अगर बात करें तो पहले मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं चूंकि आपका क्षेत्र लगता है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, हाथी खेड़ा, अजमेर ग्रामीण के पास में पर्याप्त भूमि चिह्नित कर ली गई है। जो 15 एकड़ जमीन है, अजमेर विकास प्राधिकरण के पास में यह आवंटन के लिए लंबित है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके विशेष प्रयासों से जल्दी ही यह हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष: आपके 2 हो गये।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): सैनिक स्कूल, हाथी खेड़ा के पास में 15 एकड़ जमीन चिह्नित कर ली गई है और आवंटन के लिए प्रक्रियाधीन, जल्दी हो जायेगी।

spp/rtm/21.02.2025/11.30/1d

श्री अध्यक्ष: माननीय आप कुछ पूछ रहे थे?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अजमेर वाले में तो यह कह दिया है कि शिथिलन मिलेगा तो ही होगा। सरकार ने मना कर दिया है सबसे पहली बात तो यह है। यहां बड़े-बड़े भाषण देने से काम नहीं चलेगा, आप इसको पूरा पढ़ो। दूसरा, आपने कहा कि हमने इसका

बजट मांग लिया है। आप बता दीजिए कहां से मांगा है? आपने तो डी.पी.आर.बनाकर भारत सरकार को भेजा है। बजट घोषणा तो आपकी है। आप बता दो, आपने एक पैसा भी खर्च किया हो तो।

श्री अध्यक्षः आप प्रश्न पूछिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): पहले क्वेश्चन आने दो फिर जवाब दे देना मुझको। यह पिछली सरकार पर आरोप लगाने से काम चलने वाला नहीं है। आप अपने खुद के गिरेबान में झांको। एक रुपया भी आपने खर्च कर दिया हो तो बता दीजिए। आपने यह कहा कि तीन मुख्यालयों पर भूमि का आवंटन हो गया। यह आवंटन कब-कब हुआ, इसकी सूची बता दीजिए।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्रीजी।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले भी सरकार में नेता, प्रतिपक्ष महोदय इसी विभाग के मंत्री रहे हैं। जिन 23 जिला मुख्यालयों पर भूमि आवंटन की है, उसकी सबकी सूची मैं आपको बता दूंगा। वह तो जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से जमीन चिह्नित करके उनका आवंटन हो चुका है, उसकी लिस्ट आपको उपलब्ध करवा देंगे। जिन 11 मुख्यालयों की बकाया है, वह अभी प्रक्रियाधीन है, उसकी भी लिस्ट इस रिकार्ड के अन्दर भी है और प्रश्न के जवाब में भी है। चूंकि कामकाजी महिला हॉस्टल्स भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देखता है, पिछली सरकार के समय भी आपने घोषणा की थी, लेकिन इसकी नोडल एजेंसी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को बनाया था।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): राजस्थान में नहीं दिया।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): एक मिनट, मैं बता रहा हूं। पिछले बजट के अन्दर भी 2023-24 में आपने हर बार की तरह +++ इंदिरा गांधीजी के नाम इस योजना का नाम रखा था कांग्रेस ने। लेकिन यह घोषणा इसलिये पूरी नहीं हो पायी। ...(व्यवधान)..

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, +++ क्या है? ..(व्यवधान).. +++ क्या है? What is this? ..(व्यवधान).. +++

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): इसलिये पूरी नहीं हो पायी थी। पिछली सरकार के समय में ...(व्यवधान)..

श्री अध्यक्षः उत्तर तो सुनना पड़ेगा। ..(व्यवधान)..

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): देश के लिये शहीद हुईं, उनके खिलाफ बेकार की बातें करते हैं। ..(व्यवधान).. ये माफी मांगें। ..(व्यवधान).. प्रधान मंत्री के लिये ...(व्यवधान)..

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): हॉस्टल में एक रुपये का प्रावधान भी नहीं हुआ था। ..(व्यवधान)... एक रुपये का प्रावधान वर्किंग वूमन हॉस्टल के

लिये नहीं हुआ था। ..(व्यवधान).. 165 करोड़ रुपये महिला एवं बाल विकास ..(व्यवधान)..

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): इंदिरा गांधी +++ नहीं हैं क्या? ..(व्यवधान)...

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): केन्द्र सरकार को भेजा है। केन्द्र सरकार ने हमसे मांगा है। ..(व्यवधान).. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमसे 165 करोड़ रुपये का प्रस्ताव मांगा है। हमने भेज दिया है। हमने यह कहा है ..(व्यवधान).. 35 करोड़ रुपये का प्रावधान हमने किया राज्य सरकार की तरफ से, क्योंकि इस व्यवस्था को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, केन्द्र सरकार ने हमसे मांगा। हमने 165 करोड़ रुपये के प्रस्ताव बनाकर वर्किंग वूमन हॉस्टल के लिये भेज दिये और हमारे इसी वित्तीय वर्ष में 165 करोड़ रुपये आने की संभावना है। 37 जिला मुख्यालयों पर 41 जिले हैं, 41 जिला मुख्यालयों पर वर्किंग वूमन हॉस्टल्स चालू हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री गोपीचन्द मीणा। ..(व्यवधान)..

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): इंदिरा गांधी का नाम लेने से ..(व्यवधान).. बन जाओगे। ..(व्यवधान).. बड़े बन जाओगे। ..(व्यवधान)..

भीलवाड़ा में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव

122.श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2022 से 2023 तक जिला भीलवाड़ा की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव दोषपूर्ण एवं एकतरफा कराये गये थे? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अवधि में विभाग के सक्षम अधिकारियों द्वारा पात्र सदस्यों को मताधिकार से वंचित करने के संबंध में सरकार द्वारा शिकायतें दर्ज नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त अवधि के दौरान विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की ग्राम सेवा सहकारी समिति रासेड, लसाडिया, पीपलूंद, जहाजपुर, बेई, कोदियां, गिरडिया, बिशनिया, सांकडा एवं सरसिया आदि के चुनाव निष्पक्ष रूप से नहीं कराये गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार विभागीय कमेटी द्वारा शिकायतें प्राप्त कर चुनावों को निरस्त करने तथा दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? ..(व्यवधान)..

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह कोई बात नहीं हुई। ..(व्यवधान)..

सदन कूप में

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में प्रवेश एवं भारी शोरगुल, नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: आप सब अपनी सीटों पर जाएं। ..(व्यवधान).. आपकी सीट पर जाओ। ..(व्यवधान).. आपके प्रश्न का यहां पर उत्तर आ गया। ..(व्यवधान)..

श्री अमीन कागजी (किशन पोल): नहीं, जवाब नहीं चाहिए। ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्षः नहीं चाहिए तो नियमों में आओ। ..(व्यवधान).. आप नियमों में आओ अगर जवाब गलत है तो मैं उसके ऊपर विचार करूंगा। ..(व्यवधान).. चर्चा करूंगा। अगला प्रश्न आ गया। ..(व्यवधान)..

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री गोतम कुमार): (1) जी नहीं। वर्ष 2022 से 2023 के दौरान भीलवाड़ा की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण, जयपुर द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001, नियम 2003 एवं ग्राम सेवा सहकारी समिति में पंजीकृत उपनियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार निर्वाचन अधिकारी द्वारा करवाये गये।...(व्यवधान)..

श्री अध्यक्षः बिराजें। ..(व्यवधान). कोई असंसदीय शब्द होगा तो निकाल देंगे। ..(व्यवधान).. गैर-कानूनी, असंसदीय शब्द होगा तो ही निकलेगा। ..(व्यवधान)..

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अनपार्लियामेंट्री या अंससदीय शब्द नहीं है, कोई जातिसूचक शब्द नहीं है।

श्री अध्यक्षः असंसदीय होगा तो निकलेगा। ..(व्यवधान)..

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): (2) जी नहीं। ..(व्यवधान).. क्या करें? ..(व्यवधान)..

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, +++ एक सम्मानजनक शब्द है। .;(व्यवधान)..

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, सब अपनी सीटों पर जाइये। ..(व्यवधान). आप सीटों पर जाइये। आप सीटों पर जाइये। आपको जो कहना है, अपनी सीट पर जाकर कहिये। ..(व्यवधान).. नहीं, ऊपर नहीं। ऊपर नहीं चढ़ें। ..(व्यवधान).. मार्शल।

सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.34 बजे 12.04 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

jyg/rtm/21.02.25/ 12.00/1g

(समयः 12.04 बजे)

(पुनः समवेत होने पर)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री सभापतिः सदन की कार्यवाही 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.04 बजे 14.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

MLS/RTM/21.02.2025/14:00/2c

(समयः 14:00 बजे)

पुनः समवेत होने पर
(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री सभापतिः सदन की कार्यवाही 4.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.00 बजे 16.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

MKD/RTM/21.02.2025/16:00/2p

(समयः 16:00 बजे)
पुनः समवेत होने पर
(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्षः सभी सदस्यों से अपील है, अपने-अपने स्थानों पर जाएं। सभी सदस्यों से आग्रह है कि अपने-अपने स्थान पर जाएं।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि, अधिसूचनाएं। श्री जोगाराम जी।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

वित्त (कर) विभाग

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त (कर) विभाग की 41 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्याः एफ.12(1)वित्त/कर/2024-85, दिनांक 13.07.2024 जिसके द्वारा आरजीएसटी अधिनियम, 2017 की अनुसूची II और III में कर दरों में संशोधन के सम्बन्ध में अधिसूचना संख्याः एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-40 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

2. अधिसूचना संख्याः एफ.12(1)वित्त/कर/2024-86, दिनांक 13.07.2024 जिसके द्वारा कृषि उपज से संबंधित प्रावधान जोड़ने के सम्बन्ध में अधिसूचना संख्याः एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-41 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

3. अधिसूचना संख्याः एफ.12(1)वित्त/कर/2024-87, दिनांक 13.07.2024 जिसके द्वारा सेवाओं में कर दरों में संशोधन हेतु अधिसूचना संख्याः एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I- दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

4. अधिसूचना संख्याः एफ.12(1)वित्त/कर/2024-88, दिनांक 19.07.2024 जिसके द्वारा आरजीएसटी नियम, 2017 में संशोधन किया गया है;

5. अधिसूचना संख्याः एफ.12(1)वित्त/कर/2024-89, दिनांक 19.07.2024 जिसके द्वारा टीसीएस की दर में कमी के सम्बन्ध में अधिसूचना संख्याः एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-117 दिनांक 20.09.2018 में संशोधन किया गया है;

6. अधिसूचना संख्याः एफ.12(4)वित्त/कर/2018-Pt-I-90, दिनांक 13.08.2024 जिसके द्वारा जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के तकनीकी सदस्य (राज्य) की पात्रता मानदंड में छूट के सम्बन्ध में केंद्रीय माल और सेवा अधिनियम, 2017 के तहत अधिसूचना जारी की गयी है;

7. अधिसूचना संख्याः एफ.2(32)वित्त/कर/2018-96, दिनांक 13.08.2024 जिसके द्वारा हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड (हडको) द्वारा राजस्थान जल-प्रदाय तथा सीवरेज निगम (आरडब्ल्यूएसएससी) के पक्ष में 1576.78 करोड़ रूपये के निष्पादित ऋण करार पर स्टाम्प डयूटी में छूट के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की गयी है;

8. अधिसूचना संख्याः एफ.2(41)वित्त/कर/2015-97, दिनांक 16.08.2024 जिसके द्वारा राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड के पक्ष में गेल गैस लिमिटेड द्वारा निष्पादित कारबार अंतरण करार पर पंजीयन शुल्क में छूट के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की गयी है;

9. अधिसूचना संख्याः एफ.2(7)वित्त/कर/2024-98, दिनांक 30.08.2024 जिसके द्वारा अतिरिक्त निदेशक, राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय को कलक्टर (मुद्रांक) की शक्तियां प्रदान करने के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की गयी है;

10. अधिसूचना संख्याः एफ.12(2)वित्त/कर/2024-पार्ट-I-92, दिनांक 30.08.2024 जिसके द्वारा उप निदेशक और राजस्व आसूचना अधिकारी, डीआरआईएण्डईओ को कर निर्धारण प्राधिकारी की शक्तियां सौंपने के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की गयी है;

11. अधिसूचना संख्याः F.4(2)वित्त/कर/2023-99, दिनांक 12.09.2024 जिसके द्वारा अपंजीकृत और कमी मुद्रांकित मध्यवर्ती लिखत पर स्टाम्प शुल्क में रियायत के लिए अधिसूचना क्रमांक एफ.4(2)वित्त/कर/2024-77, दिनांक 10.07.2024 में संशोधन के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की गयी है;

12. अधिसूचना संख्याः F.12(1)वित्त/कर/2024-93, दिनांक 27.09.2024 जिसके द्वारा इनपुट सेवा वितरक द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट के वितरण के सम्बन्ध में आरजीएसटी नियम, 2017 में संशोधन के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की गयी है;

13. अधिसूचना संख्याः F.12(1)वित्त/कर/2024-95, दिनांक 09.10.2024 जिसके द्वारा कैंसर की दवाओं, एक्सट्रूडेड और एक्सपेन्टेड उत्पादों, सेवोरी या नमकीन और कार सीटों पर जीएसटी दर में परिवर्तन के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की गयी है;

14. अधिसूचना संख्याः F.12(1)वित्त/कर/2024-96, दिनांक 09.10.2024 जिसके द्वारा किसी अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा पंजीकृत व्यक्ति को धातु स्क्रैप की आपूर्ति पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) लागू किये जाने के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की गयी है;

15. अधिसूचना संख्या: F.12(1)वित्त/कर/2024-97, दिनांक 09.10.2024 जिसके द्वारा सीट शेयर के आधार पर हेलीकाप्टरों द्वारा यात्रियों के परिवहन पर 5% की दर से जीएसटी दर अधिसूचित करने के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की गयी है;

16. अधिसूचना संख्या: F.12(1)वित्त/कर/2024-98, दिनांक 09.10.2024 जिसके द्वारा सरकारी संस्थाओं को कतिपय आपूर्तियों पर छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की गयी है;

17. अधिसूचना संख्या: F.12(1)वित्त/कर/2024-99, दिनांक 09.10.2024 जिसके द्वारा राजस्व रिसाव को रोकने के लिए आरसीएम के तहत एक अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा पंजीकृत व्यक्ति को वाणिज्यिक संपत्ति किराए पर देने के सम्बन्ध अधिसूचना जारी की गयी है;

18. अधिसूचना संख्या: F.12(1)वित्त/कर/2024-100, दिनांक 09.10.2024 जिसके द्वारा थ्रैसहोल्ड सीमा पार करने के पश्चात् धातु स्क्रैप के आपूर्तिकर्ता के पंजीकरण हेतु स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की गयी है;

19. अधिसूचना संख्या: F.12(1)वित्त/कर/2024-101, दिनांक 09.10.2024 जिसके द्वारा पंजीकृत व्यक्ति द्वारा पंजीकृत व्यक्ति को धातु स्क्रैप की आपूर्ति पर टीडीएस (बी टू बी आपूर्ति) के सम्बन्ध अधिसूचना जारी की गयी है;

20. अधिसूचना संख्या: F.2(42)वित्त/कर/2009-100, दिनांक 14.10.2024 जिसके द्वारा सरकारी कम्पनी, निगम, सोसायटी, विकास प्राधिकरण, नगर पालिका एवं नगर सुधार न्यास द्वारा दिनांक 31.03.2030 तक निष्पादित किये जाने वाले ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की गयी है;

21. अधिसूचना संख्या: F.12(1)वित्त/कर/2024-102, दिनांक 25.10.2024 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2024-99,दिनांक 9 अक्टूबर, 2024 में शुद्धि के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की गयी है;

22. अधिसूचना संख्या: एफ.5(3)वित्त/कर/2022-101, दिनांक 30.10.2024 जिसके द्वारा डवलपर एग्रीमेन्ट पर स्टाम्प शुल्क की दर में संशोधन के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की गयी है;

23. अधिसूचना संख्या: एफ.2(15)वित्त/कर/2010/pt.-102, दिनांक 20.11.2024 जिसके द्वारा राजस्थान विनिधान प्रोन्नति स्कीम, 2024 के अधीन पात्र उद्यमों के पक्ष में निष्पादित भूमि की खरीद या पट्टे के दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की गयी है;

24. अधिसूचना संख्या: एफ.12(32)वित्त/कर/2024/Pt-I-104, दिनांक 20.11.2024 जिसके द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 (RIPS-2024) के अंतर्गत विद्युत शुल्क छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की गयी है;

25. अधिसूचना संख्याः एफ.12(1)वित्त/कर/2024-109, दिनांक 16.12.2024 जिसके द्वारा शून्य फॉर्म जीएसटीआर-7 को देर से दाखिल करने पर विलंब शुल्क से छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की गयी है;

26. अधिसूचना संख्याः एफ.12(1)वित्त/कर/2024-106, दिनांक 16.12.2024 जिसके द्वारा आरजीएसटी नियम, 2017 में संशोधन करने के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की गयी है;

27. अधिसूचना संख्याः एफ.12(1)वित्त/कर/2024-108, दिनांक 16.12.2024 जिसके द्वारा आरजीएसटी अधिनियम की धारा 16(4) के उल्लंघन पर जारी किए गये मांग आदेशों के सुधार के लिए आरजीएसटी अधिनियम की धारा 148 के तहत विशेष प्रक्रिया को अधिसूचित किया गया है;

28. अधिसूचना संख्याः एफ.12(1)वित्त/कर/2024-107, दिनांक 16.12.2024 जिसके द्वारा आरजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 128ए की उप-धारा (1) के तहत पंजीकृत व्यक्ति द्वारा देय कर के भुगतान की तारीख को अधिसूचित किया गया है;

29. अधिसूचना संख्याः एफ.12(1)वित्त/कर/2024-105, दिनांक 16.12.2024 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2024 के प्रावधानों को अधिसूचित किया गया है;

30. अधिसूचना संख्याः एफ.12(5)वित्त/कर/2025-117, दिनांक 16.01.2025 जिसके द्वारा निर्दिष्ट परिसर की परिभाषा बदलने के लिए अधिसूचना संख्याः एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-55 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

31. अधिसूचना संख्याः एफ.12(5)वित्त/कर/2025-116, दिनांक 16.01.2025 जिसके द्वारा निकाय कॉरपोरेट्स द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रायोजित सेवाओं की आपूर्ति को फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म आदि के तहत लाने के लिए अधिसूचना संख्याः एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-51 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

32. अधिसूचना संख्याः एफ.12(5)वित्त/कर/2025-115, दिनांक 16.01.2025 जिसके द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना निधि में किए गये योगदान पर जीएसटी से छूट देने के सम्बन्ध मे अधिसूचना संख्याः एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-50 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

33. अधिसूचना संख्याः एफ.12(5)वित्त/कर/2025-114, दिनांक 16.01.2025 जिसके द्वारा घोषित टैरिफ की परिभाषा को हटाने और निर्दिष्ट परिसर की परिभाषा में संशोधन करने हेतु अधिसूचना संख्याः एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-49 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

34. अधिसूचना संख्याः एफ.12(5)वित्त/कर/2025-113, दिनांक 16.01.2025 जिसके द्वारा सभी पुराने और उपयोग में लाये हुये वाहनों की बिक्री पर जीएसटी दर को

12% से बढ़ाकर 18% करने हेतु अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-Pt-II-173 दिनांक 25.01.2018 में संशोधन किया गया है;

35. अधिसूचना संख्या: एफ.12(5)वित्त/कर/2025-112, दिनांक 16.01.2025 जिसके द्वारा एचएसएन 19 या 21 के तहत खाद्य तैयारियों हेतु खाद्य इनपुट पर जीएसटी की रियायती दर 5% जीएसटी दर को आगे बढ़ाने हेतु अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-120 दिनांक 18.10.2017 में संशोधन किया गया है;

36. अधिसूचना संख्या: एफ.12(5)वित्त/कर/2025-111, दिनांक 16.01.2025 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-41 दिनांक 29.06.2017 जीन थेरेपी पर जीएसटी से छूट देने और प्री-पैकेज्ड और लेबल वाली वस्तुओं की परिभाषा में संशोधन किया गया है;

37. अधिसूचना संख्या: एफ.12(5)वित्त/कर/2025-110, दिनांक 16.01.2025 जिसके द्वारा फोर्टिफाइड चावल कर्नेल पर दर कम करने और प्री-पैकेज्ड और लेबल वाली वस्तुओं की परिभाषा में संशोधन करने हेतु अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-40 दिनांक 28.06.2017 में संशोधन किया गया है;

38. अधिसूचना संख्या: एफ.5(13)वित्त/कर/2024-103, दिनांक 17.01.2025 जिसके द्वारा राजस्थान रजिस्टेªशन (लाईसेन्सिंग आफ डाक्यूमेन्ट राइटर्स) नियम, 2025 के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की गयी है;

39. अधिसूचना संख्या: एफ.2(6)वित्त/कर/2023-104, दिनांक 24.01.2025 जिसके द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 6 के अंतर्गत उप-रजिस्ट्रारों की नियुक्ति के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की गयी है;

40. अधिसूचना संख्या: एफ.2(6)वित्त/कर/2023-105, दिनांक 24.01.2025 जिसके रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 6 के तहत पंजीयन जिलों में रजिस्ट्रार की नियुक्ति के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की गयी है; एवं

41. अधिसूचना संख्या: एफ.2(6)वित्त/कर/2023-106, दिनांक 24.01.2025 जिसके द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 8 के तहत पंजीयन एवं मुद्रांक के अतिरिक्त महानिरीक्षक एवं उप महानिरीक्षक की नियुक्ति के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की गयी है।

श्री अध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन। श्री हीरालाल नागर।

प्रतिवेदन एवं लेखे

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 24वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2023-24)

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 24वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री छगनसिंह राजपुरोहित।

याचिका

आहोर के ग्राम देलदरी में पशु चिकित्सालय की स्वीकृति

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से देलदरी में पशु चिकित्सालय की कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती रमीला खड़ीया। श्रीमती रमीला खड़ीया। (अनुपस्थित)

श्री ललित यादव। श्री ललित यादव। (अनुपस्थित)

माननीय सचेतक, प्रस्ताव लाओ।

सदस्य का निलम्बन

सर्व श्री (1) गोविन्द सिंह डोटासरा, (2) रामकेश, (3) अमीन कागजी, (4) जाकिर हुसैन गैसावत, (5) हाकम अली खां और (6) संजय कुमार, माननीय सदस्यगण का वर्तमान सत्र की शेष अवधि के लिए निलम्बन

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की परम्पराएं बहुत उच्च रही हैं। स्व. भैरोंसिंह जी शेखावत साहब और मोहन लाल जी सुखाड़िया साहब, जैसे नेताओं के मार्गदर्शन में इस सदन ने बहुत कुछ परम्पराएं स्थापित की हैं। आपस में सौहार्द, आपस में तालमेल और हंसी-खुशी का माहौल बनाना, ऐसी उनकी परम्परा रही है।

सदन में समय-समय पर कुछ कटु पल भी आते हैं, कड़वे पल भी आते हैं। सत्ता पक्ष की किसी बात पर प्रतिपक्ष उत्तेजित होता है, कभी प्रतिपक्ष की किसी बात पर सत्ता पक्ष उत्तेजित होता है। उत्तेजना अपनी जगह व्यक्त भी होती है और व्यक्त होती है तो उसका समाधान भी होता है। उत्तेजना व्यक्त करने के दौरान कई बार माननीय सदस्य कुछ अधिक आक्रोशित भी हो जाते हैं। यह सब इस सदन के पटल पर होता रहा है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय मैं बहुत दुःख के साथ कहना चाह रहा हूं कि आज जो कुछ हुआ, आक्रोश को व्यक्त करने के लिए सारी सीमाएं पार की गईं। आसन की तरफ जिस गति से और जिस मन्तव्य से बढ़ा गया और आसन के बिलकुल, आसन पर विराजमान अध्यक्ष महोदय के बिलकुल नजदीक तक, शरीर के नजदीक तक पहुंचने की जो घटना घटित हुई है, वह निश्चित रूप से निन्दनीय है और क्षमा योग्य अपराध नहीं है। उसके लिए मैं प्रतिपक्ष के नेताओं की निन्दा करता हूं और लोगों ने जो कुछ किया, वह अक्षम्य अपराध है।

इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करता हूं कि प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में अशोभनीय और निन्दनीय आचरण का प्रदर्शन किये जाने के फलस्वरूप निम्नांकित माननीय सदस्यों को वर्तमान बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलम्बित किया जाये:

(1) श्री गोविन्द सिंह डोटासरा,

(2) श्री रामकेश मीणा,

(3) श्री अमीन कागजी,

(4) श्री जाकिर हुसैन गैसावत,

(5) श्री हाकिम अली खां और

(6) श्री संजय कुमार।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, इस प्रस्ताव पर सदन विचार करे और अपना निर्णय करे।

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है कि यह सदन सरकारी मुख्य सचेतक के प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही 24 तारीख को प्रातः 11.00 बजे तक स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 16.04 बजे सोमवार, दिनांक 24 फरवरी 2025 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)